रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5101] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2018/पौष 7, 1940
No. 5101] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2018/PAUSHA 7, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6355(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गठित एक सोसायटी 'राजस्थान राज्य ओपन स्कूल सोसायटी' जयपुर को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ उस निकाय को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के बारे में अधिसूचित करती है, नामत:-

(क) विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा अतिरिक्त (डुप्लीकेट) अंक तालिका शुल्क; तथा

(ख) उपरोक्त (क) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'राजस्थान राज्य ओपन स्कूल सोसायटी', जयपुर -

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) कार्यकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के लिए लागू होना माना जाएगा तथा निर्धारण वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के संबंध में लागू होगा।

[अधिसूचना सं. 90/2018/फा. सं. 300196/60/2018-आईटीए-I]

विनय शील गौतम, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।